प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा मे,

मुख्य चिकित्साधिकारी,
झांसी, जालौन, फिरोजाबाद, बिजनौर तथा ललितपुर।

पत्र सं0: एस0पी0एम0यू0/NPCB/04/2013–14/5810-5 दिनांक: 21-02-14

विषय : राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013–14 में राजकीय/एन0जी0ओ0 क्षेत्र में किये जा रहे मोतियाबिन्द आपरेशनों हेतु दूसरी किस्त के रूप में अवमुक्त धनराशि करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

एन0एच0एम0 के सभागार में राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत दिनांक 28.01.2014 को आयोजित जिला कार्यक्रम प्रबन्धकों (अंधता नियंत्रण कार्यक्रम) की समीक्षा बैठक में 5 जनपदों के जिला कार्यक्रम प्रबन्धकों द्वारा मिशन निदेशक महोदय के सम्मुख अपने जनपद में राजकीय/एन0जी0ओ0 क्षेत्र में किये जा रहे मोतियाबिन्द आपरेशनों हेतु दूसरी किस्त के रूप में धनराशि उपलब्ध कराये जाने के अनुरोध पर महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ0प्र0 के उपलब्ध कराये प्रस्ताव के क्रम में निम्नलिखित धनराशि अवमुक्त की जा रही है–

SN	District Name	Cat.Govt. sector @ 450/oprtn	Cat.NGO sector @ 1000/ oprtn	Cat. Govt. sector	Cat. NGO sector	Total amount to be released as 2nd release (Proposed by SPO, NPCB) in Rs
		1st Released		Annual Allotement		
1	Jhansi	475450.00	456425.00	950900.00	912850.00	475450.00
2	Jalaun	201300.00	193250.00	402600.00	386500.00	201300.00
3	Bijnor	443850.00	426100.0	887700.00	852200.00	443850.00
4	Firozabad	300850.00	288800.00	601700.00	577600.00	300850.00
5	Lalitpir	146750.00	140875.00	293500.00	281750.00	287625.00
Total (Rs Seventeen lacs Nine thousand seventy five only)						**1709075.00**

(नोट–जनपद झांसी, जालौन, फिरोजाबाद, बिजनौर के जिला स्वास्थ्य समिति के खाते में दूसरी किस्त के रूप में राजकीय क्षेत्र में किये जा रहे मोतियाबिन्द आपरेशनों हेतु तथा जनपद ललितपुर में राजकीय क्षेत्र एवं एन0जी0ओ0 दोनो क्षेत्र में किये जा रहे मोतियाबिन्द आपरेशनों हेतु धनराशि अवमुक्त की जा रही है।)

4. कार्यक्रम के अन्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग इस कार्यालय/महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ0प्र0 कार्यालय द्वारा पूर्व में प्रेषित किये गये दिशा–निर्देशों के अनुरूप किया जायेगा।

5. धनराशि का आवंटन मात्र, आपको व्यय करने के लिए प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृत के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि अवमुक्त की गई है उसी कार्यक्रम/मद में व्यय उसी सीमा तक नियमानुसार किया जाये।

..................2

Generated by CamScanner from intsig.com

6. स्वीकृत मद का पुर्निविनियोग (re-appropriation) राज्य कार्यकारी समिति, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश की अनुमति के बिना कदापि न किया जाये। साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित किया जाये कि एक कार्यक्रम की धनराशि दूसरे कार्यक्रमों में स्थानान्तरित न की जाये। धनराशि के व्यय में यदि कोई अनियमितता होती है तो इसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होगें।

7. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाईयों के वित्तीय अभिलेख कैश बुक, बैंक बुक, लेजर, चेक इश्यू का रजिस्टर आदि लेखा पुस्तकी में सभी प्रविष्टियां समय से पूर्ण करायें साथ ही समयानुसार सत्यापन भी सक्षम अधिकारी करना सुनिश्चित करें।

8. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाइयों के बैंक समाधान विवरण प्रत्येक माह के अन्त में तैयार करना सुनिश्चित करायें जिससे बैंक खातों तथा सोसाइटी एवं समस्त इकाइयों के लेखों में कोई भिन्नता न रहें।

9. आपके स्तर से समस्त इकाईयों को अग्रिम के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशियों के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करते हुए अपनी लेखापुस्तकों में समायोजन दर्शाना सुनिश्चित करें।

10. प्रत्येक माह का मासिक व्यय विवरण (एफ0एम0आर0) लेखापुस्तकों की प्रविष्टियों से मिलान कर तैयार किया जाये तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक माह की एफ0एम0आर0 में दर्शायी गयी धनराशि एवं लेखापुस्तकों में प्रविष्टि की गयी धनराशि में मदवार कोई अन्तर न रहें।

11. व्यय से सम्बन्धित समस्त लेखाबहियॉ, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं नियुक्ति मासिक कान्करेन्ट आडिटर, स्टेटच्यूरी आडिटर, महालेखाकार की आडिट टीम एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

12. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये संशोधित आपरेशनल गाइडलाइन्स फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट में दिये गये दिशा निर्देशों एवं प्रक्रिया का समयबद्ध पालन समस्त स्तरों पर किया जाना सुनिश्चित करें।

13. भारत के नियंत्रक/महालेखा परीक्षक द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश, के परफारमेन्स आडिट रिपोर्ट में उठाई गयी मुख्य आपत्तियों के परिप्रेक्ष्य में मुख्य सचिव, महोदय उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों के अन्तर्गत गठित समिति की दिनांक 01.06.2012 को सम्पन्न हुई बैठक में समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों की प्रति पत्र संख्या SPMU/NRHM/ACCOUNT/490-8 दिनांक 13.06.2012 के द्वारा उपलब्ध करायी गयी है, को संज्ञान में लेना सुनिश्चित करें।

14. कार्यक्रम के अन्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि के उपयोग तथा कार्यक्रम के कियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश संयुक्त निदेशक (नेत्र)/राज्य कार्यक्रम अधिकारी पृथक से सम्बन्धित जनपदों को निर्गत किया जायेगा। कार्यक्रम की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा करते हुये प्रति माह मिशन निदेशक के अवलोनार्थ प्रेषित की जायेगी।

15. उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। समयान्तर्गत अनुपालन न होने की स्थिति में सम्बन्धित अधिकरियों के विरूद्ध नियमानुसार विभागीय अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही हेतु प्रकरण प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन को सन्दर्भित कर दिया जाएगा।

भवदीय,

20/2/14

(अमित कुमार घोष)
मिशन निदेशक

5810-5-6

पत्र सं0: एस0पी0एम0यू0/NPCB/04/2013–14/ तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।

..............3

Generated by CamScanner from intsig.com

it K

3. निदेशक, राष्ट्रीय कार्यक्रम, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।
4. जिलाधिकारी / अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य सोसायटी, झांसी, जालौन, फिरोजाबाद, बिजनौर तथा ललितपुर।
5. संयुक्त निदेशक (नेत्र रोग) / राज्य कार्यक्रम अधिकारी को इस निर्देश के साथ की अवमुक्त की जा रही धनराशि के उपयोग तथा कार्यक्रम के कियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु दिशा–निर्देश पृथक से सम्बन्धित जनपदों को निर्गत करना सुनिश्चित करें तथा कार्यक्रम की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा करते हुये प्रति माह मिशन निदेशक के अवलोनार्थ प्रेषित करना भी सुनिश्चित करें।
6. महाप्रबन्धक, एम0आई0एस0, एस0पी0एम0यू0, एन0आर0एच0एम0 को इस आशय से कि पत्र की प्रति एन0आर0एच0एम0 की वेबसाइट– www.upnrhm.gov.in पर अपलोड करने का कष्ट करें।

(अमित कुमार घोष)
मिशन निदेशक

Generated by CamScanner from intsig.com